हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

2/3/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 18/5/17 को पेश हो।

लोक अदालत शिविर-धाणेराव
(न्याय आपके द्वार अभियान, 2017)

18.5.2017

वादीगण अनुपस्थित।
प्रतिवादी अधिकारी तह० देसूरी उपस्थित।

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। दिनांक 1.7.2015 के पश्चात् पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी वादी की ओर कोई साक्ष्य/शहादत प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादी के शहादत का अवसर समाप्त किया जाता है। वाद बिन्दु भी नियत हो चुके हैं, अभिलेखीय प्रकरण में साक्ष्य भी पर्याप्त प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के अनुसार गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act सपठित धारा

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी

बनाम

किस्म मुकदमा ____ नम्बर ....

अन्तर्गत धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	136 राजस्थान भू-राजस्व, 1956 कि प्रतिवादी राज० सरकार जरिये भूमि तह० देसूरी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा-घाणेराव के वर्तमान ख०नं० 1083, 1080, 1070, 1071, 1079, 1068, 1069, 1072, 1073, कुल रकबा 20.31 हैक्टर भूमि वादी के खातेदारी की दर्ज थी। उक्त भूमि के संबंध में सिलींग प्रकरण वादी के विरुद्ध दर्ज हुआ एवं SDO बाली के निर्णय अनुसार वादी की 50 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिलींग नियमो के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई। अधिग्रहित शुदा भूमि राजकीय सिवाय-चक खाते में दर्ज की गई। पश्चात् प्रकरण रिओपन होकर अति० जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में निर्णित हुआ एवं वादी की 55 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

11 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के
आदेश दिनांक 21.7.98 को
पारित किये गये जिसकी
अनुपालना में प्रतिवादी तह०
देसूरी द्वारा ग्राम घाणेराव के
ख०नं० 1080 रकबा 5.14 हे०
में से 0.81 हेक्टर अधिग्रहित
की गई। एवं ख०नं० 1080/1
रकबा 0=81 हेक्टर सिवायचक
इन्द्राज किया गया। अति०
कलेक्टर, पाली के निर्णय
दिनांक 21.7.98 की अपील
वादी द्वारा माननीय राजस्व
मण्डल अजमेर में दायर की
गई एवं राजस्व मण्डल अजमेर
में दायर अपील सं० 79/98/
सिरोही/पाली दिनांक 2.12.99
निर्णीत होकर अपील स्वीकार की
गई एवं वादी (अपीलान्ट) की
50 बीघा 11 बिस्वा भूमि के अतिरिक्त
अन्य भूमि अतिरिक्त अधिग्रहण
योग्य नहीं मानी गई। उपरोक्त
आधार पर वादी ने राजकीय

P.T.O.

उड अधिकारी
देसूरी (पाली)

विवादग्रस्त भूमि ख० नं० 1080/1 रकबा 0=81 हेक्टेयर भूमि मालिक निर्णय खातेदारी घोषणा का निवेदन किया।

उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार एवं अवलोकन के पश्चात् निम्नानुसार वाद बिन्दु निर्मित किये जाते हैं-

वाद बिन्दु सं-1

वादी द्वारा वाद पत्र के साथ बतौर साक्ष्य राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.98 की प्रति एवं ख० नं० 1080/1 की प्रति प्रस्तुत की गई है। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पुष्टि में वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली का मूल निर्णय ना० का० की प्रति जिसके द्वारा 50 बीघा 11 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई एवं 50 बीघा 11 बिस्वा अधिग्रहित भूमि के नवीन ख० नं०

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

एवं नवीन अभिलेखीय स्थिति,
अति. कलेक्टर, पाली के
निर्णय दिनांक 21.7.98 की
प्रति एवं उक्त निर्णय की
पालना में अधिग्रहित भूमि
का नामान्तरण इत्यादि साक्ष्य/अभिलेख
परीक्षण के लिए प्रस्तुत
नहीं किये गये हैं.

जहां तक रिमाण्ड मामले
के निर्णय की अनुपालना
का प्रश्न है; इस हेतु वादी
को सक्षम अधिकारी/
अधिकारी के समक्ष निर्णय
की पालना के लिए पृथक
से आवेदन प्रस्तुत करना
चाहिये था ताकि सक्षम
प्राधिकारी/अधिकारी सीलिंग
नियमों के अन्तर्गत ~~[illegible]~~ नियमानुसार
जांच कर अग्रिम कार्यवाही
कर सकते हैं. इस हेतु वादी
आवेदन प्रस्तुत करने के लिए
स्वतंत्र है। धारा 88 Raj. Act
सपठित धारा 136 RLR Act

अधिकारी
(पाली)

P.T.O.

के अन्तर्गत वादी कोई भी वाद के माध्यम से खातेदारी घोषणा अथवा रेकार्ड दुरुस्ती का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः यह वाद बिन्दु विरुद्ध वादी एवं प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु सं० 2

रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि पूर्व में ख०नं० 1080 रकबा 5.14 हेक्टर भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज थी, परन्तु अति० जिला कलेक्टर, पाली के न्यायालय से सिलींग प्रकरण संख्या 92/94 में पारित निर्णय के अनुसार ख०नं० 1080 के कुल रकबा 5.14 हेक्टर में से 0=81 हेक्टर भूमि सिलींग नियमों के अन्तर्गत अधिग्रहित कर ख०नं० 1080/1 रकबा 0=81 हे० राजकीय सिवाय-चक खाते में दर्ज की गई है। अतः वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी भूमि का हिस्सा नहीं

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

का सवाल ही नहीं है, अतः
यह तनकी-2 वादी के विरुद्ध
निर्णित की जाती है।

<u>वाद बिन्दु सं०-3</u>

वादग्रस्त भूमि ख०नं० 1080/1
रकबा 0.81 हे० भूमि सिलिंग
नियमों के अंतर्गत अधिग्रहित
होकर सिवायचक दर्ज है।
जिसके खातेदारी घोषणा अथवा
रेकार्ड दुरस्ती का वाद उक्त
स्थिति से परिपोषणीय नहीं है।
अतः यह तनकी प्रतिवादी के
पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से
वादी का वाद अन्तर्गत धारा
88 R.T. Act सपठित धारा
136 RLR Act परिपोषणीय
नहीं होने से खारिज किया
जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब
हो। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली मोसल शुमार होकर
रवन्ना रो कार्यालय हो।

उपखण्ड अधिकारी
(राजसमंद/गोमती/भीम)
SDO देवगढ़